न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 30–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–14 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील धार प्रकरण क्रमांक 129/अ–6/2013–14.

रामभरोसे पिता गप्पुजी
निवासी ग्राम हरसोरा
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– सोहन सिंह पिता प्रेमसिंह
2– आशासम उर्फ अशोक पिता लालजी
निवासीगण ग्राम हरसोरा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 सोहनसिंह द्वारा ग्राम हरसौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 30/1 रकबा 0.756 हेक्टेयर पर विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 129/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में कब्जे के आधार पर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान कहा गया कि निगरानी मेमों में उठाये गये आधार ही उनके तर्क हैं । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दस्तावेज पंजीकृत होने के पूर्व से आवेदक के पक्ष में अनुबंध पत्र है, और कब्जा आवेदक का है । अतः जानकारी होते हुए भी भूमि खरीदने वाला पक्ष दोषी है, साम्य उसके पक्ष में नहीं है । यह सारी बातें आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में बताई है और घोषणा मांगी है तथा रजिस्ट्री कराने की मांग की है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को कार्यवाही रोकना थी तथा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 व 151 एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदक का आवेदन स्वीकार करना था, किन्तु ऐसा नहीं करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) तहसीलदार ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पक्ष समान हैं और भूमि समान है, और व्यवहार न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, तब तहसील न्यायालय पर रेस्ज्यूडीकेटा का प्रभाव रखती है, अतः तहसील न्यायालय को कार्यवाही रोकना थी ।

(3) इस न्यायालय का न्याय उद्धरण आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय के दावे के निराकरण तक तहसील को कार्यवाही रोकना चाहिए थी । इस न्यायालय का न्याय उद्धरण तहसील न्यायालय पर बंधनकारी है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने केवल कब्जे के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की है, जबकि अनावेदक कमांक 1

द्वारा वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई रोक नहीं लगाई गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका अनेक वर्षों से कब्जा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण न किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–11–14 को अंतरिम आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ कि कब्जे के संबंध में प्रचलित व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जो कि उचित नहीं है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि व्यवहार न्यायालय में विवादित भूमि एवं तहसील न्यायालय में विवादित भूमि समान है एवं पक्षकार भी समान हैं, अतः व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित रहने के दौरान तहसील न्यायालय की कार्यवाही पर रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय पृथक–पृथक न्यायालय हैं और रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धांत एक ही न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने पर लागू होता है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील धार द्वारा पारित आदेश 27–11–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्ती की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर